

महगाँई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों
के संग अभियान 2023 में पारित

दिनांक

२५-५-२३ पशुवली प्रशासन गांवों के संग अभियान
२०२३ केम्प-कोटड़ी में पेश हुई वादी स्वयं
उपस्थित। वादी ने पहचान स्वरूप आधार
कार्ड सं. २१४०६७९९०४६५ की स्वहस्ताक्षरित
प्रति पेश की। वादी ने उक्त वाद में प्रतिवादी
सं. १ की मृत्यु हो जाने से नोटिस करने
बाबत प्रार्थना-पत्र पेश किया। वादी
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार
उक्त वाद में प्रतिवादी सं. १ की मृत्यु हो
चुकी है, इसलिये वादी उक्त प्रकरण को

वामदेव



शौग नही चलाना चाहता है

हमने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र
पर वादी को सुना। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु
हो जाने से वादी इक्त वाद को चलाना नहीं चाहता
है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो

25.4.23

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, जिला अजमेर
महगाँई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों
के संग अभियान 2023